प0सं0–14/डी0एल0ए0 (सम्पर्क सड़क)–प0 चम्पारण–168/13–2535/रा0, पटना–15 दिनांक–23/10/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भू–अर्जन निदेशालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक– ....

स0डी0 एल0 ए0 पं0 चम्पा0 ....रा0 चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–बलुआ रमपुरवा, परगना– मझौआ, थाना– बेतिया (बैरिया), जिला प0 चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात– बलुआ रमपुरवा में सम्पर्क पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपयुर्क्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम– बलुआ रमपुरवा नं0– 118 के भीतर कमोवेश 0 बीघा 04 कठ्ठा 10 धुर जो मानक माप से 0.07500 एकड़ के बराबर होता है एक भू–खण्ड अपेक्षित है, जिसका अंश खेसरा संख्या– 2028, 2029 एवं 2030 है, तथा इस भू खण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है:–

उत्तर :– अंश खेसरा नं0– 2028, 2029 एवं 2030।
दक्षिण :– पूर्ण खेसरा नं0– 2586।
पूरब :– पूर्ण खेसरा नं0– 2032।
पश्चिम :– पूर्ण खेसरा नं0– 2587 (रास्ता)।

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम 1–1894 की धारा 4 एवं भू–अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध है।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे अंचल अधिकारी, बैरिया एवं उनके स्टाफ को प्राधिकृत करता हूँ कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें, तथा उक्त अधिनियम कि धारा 4 की उप धारा (2) में यथाउपबन्धित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य 0.07500 एकड है, तथा उसका तुरंत अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 'अ' के उपबन्ध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश स

समाहर्त्ता

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 2535/रा0, डी0एल0ए0 पं0 चम्पा0, पटना, दिनांक 23/10/2013

प्रतिलिपि:– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक सामचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनाथ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को जिला गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोंपरान्त 10 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव